न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 219 / 2024

प्रार्थी

1. प्रतापराम पुत्र पुनाराम जाति कुम्हार निवासी अटबड़ा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे, श्री कुन्दनमल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक –15/01/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रून्दिया, पटवार हल्का रून्दिया, भू.अ.नि.क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत में प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिसके खाता संख्या 81 खसरा संख्या 221 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 310 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 312 रकबा 1.0900 है0, खसरा नंबर 336 रकबा 0.6000 है0, खसरा नंबर 337 रकबा 0.5000 है0, खसरा नंबर 829 रकबा 0.6400 है0 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.8400 हैक्टर है, उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पपुराम पुत्र पुनाराम दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम प्रतापराम पुत्र पुनाराम है। प्रार्थी के पिता पुनाराम के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के दस्तावेजी नाम का अवलोकन किये बगैर ही प्रार्थी के घर–परिवार में लाड प्यार के नाम पपुराम का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया। प्रार्थी के तमाम दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटबड़ा की बचत खाता, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, एल.आई.सी., ड्राईवींग लाईसेंस, जन–आधार कार्ड, गैस डायरी व जोधपुर विद्युत वितरण द्वारा जारी विद्युत बिल व मिनी सहकारी बैंक अटबड़ा की पासबुक, सहकारी किसान कार्ड, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की पास बुक व तमाम अर्द्धसरकारी दस्तावेज में प्रतापराम पुत्र पुनाराम ही दर्जसुदा हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अन्य सरकारी योजनाओं से मेहरूम होना पड़ रहा है, साथ ही प्रार्थी को अन्य राजस्व कार्यों में भी बाधा/अडचन कारित हो रही है, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पपुराम पुत्र पुनाराम के स्थान पर प्रतापराम पुत्र पुनाराम अंकित करवाये। इस

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत कर उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पपुराम पुत्र पुनाराम के स्थान पर प्रतापराम पुत्र पुनाराम दुरूस्त कर शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रून्दिया में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 5 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 6 से 9 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

इस संबंध में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/1858 दिनांक 23.12.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी के तमाम दस्तावेजों तथा उपस्थित मौतबिरानों से पूछताज में सही पाये जाने पर प्रार्थी का नाम प्रतापराम पुत्र पुनाराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा रून्दिया, पटवार हल्का रून्दिया, भू.अ.नि.क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत में खाता संख्या 81 खसरा संख्या 221 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 310 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 312 रकबा 1.0900 है0, खसरा नंबर 336 रकबा 0.6000 है0, खसरा नंबर 337 रकबा 0.5000 है0, खसरा नंबर 829 रकबा 0.6400 है0 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.8400 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पपुराम पुत्र पुनाराम के स्थान पर प्रतापराम पुत्र पुनाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि, सरहद मौजा ग्राम अटपड़ा के ख0नं0 1032, 2093, 2905/1, 1331/1 जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पपुराम नहीं होकर प्रतापराम होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज नाम पपुराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम प्रतापराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

—: **आदेश** :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रून्दिया, पटवार हल्का रून्दिया, भू.अ.नि.क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत में खाता संख्या 81 खसरा संख्या 221 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नंबर 310 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 312 रकबा 1.0900 है0, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

336 रकबा 0.6000 है0, खसरा नंबर 337 रकबा 0.5000 है0, खसरा नंबर 829 रकबा 0.6400 है0 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.8400 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पपुराम पुत्र पुनाराम के स्थान पर प्रतापराम पुत्र पुनाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 5/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)